

## प्रेसनोट दिनांक 06.01.2021

1. दिनांक 05.01.21 को वादी उ०नि० श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गुड्डू सिंह पुत्र भवानी प्रताप सिंह नि० राजेपुर थाना महाराजगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 125 ग्राम नशीला पाउडर डायजापाम बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 04/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 05.01.21 को वादी उ०नि० श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रवि कुमार पुत्र राम तेज कोरी नि० राजेपुर थाना महाराजगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 110 ग्राम नशीला पाउडर डायजापाम बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 05/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 05.01.21 को वादी श्री राहुल यादव पुत्र रमेश कुमार यादव नि० अलावलपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता को टक्कर मार देना जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 04/21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 05.01.21 को वादी वन रक्षक विष्णु प्रताप चौहान बीट हैदरगंज रेन्ज बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम प्रकाश सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह नि० हथिगो पाली लाला का पुरवा थाना हैदरगंज अयोध्या अभियुक्त द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर लगे 08 पेड़ प्रतिबंधित प्रजाति के काट कर उठा ले जाना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 10/21 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि० 3/28 टीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 05.01.21 को वादी श्री गुरु प्रसाद लेखपाल बल्ली कृपालपुर तहसील बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सत्य नारायण वर्मा पुत्र राम भुआल वर्मा नि० फखरपुर थाना तारुन अयोध्या अभियुक्त द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर पक्का निर्माण कार्य करा लेना।? जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 06/21 धारा 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।